In,

The court of Sub-Judge-1st , Patna City

T.S.-24/2021

25/04/2022	वादी तथा प्रतिवादी की ओर से हाजरी दी गयी है। प्रतिवादी की ओर से एक आवेदन पत्र U/o-151 C.P.C. दाखिल किया गया है। वादी तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता वाद को संचालित कर निवेदन करते है कि भूलवश दाखिल मूल कागजात को प्रदर्श नहीं किया जा सका। जो इस वाद के निस्तार हेतु अति आवश्यक है। तथा प्रतिवादी के दावा का आधार है। अतः उक्त कागजात को प्रदर्श अंकित करने हेतु प्रतिवादी सविता देवी के साक्ष्य दिनांक 29.03.2022 को Recall किया जाए तथा विक्रय पत्र को प्रदर्श अंकित किया जाए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद को संचालित कर निवेदन करते है कि यदि प्रतिवादी साक्षी सविता देवी को Recall किया जाए तो इसमें वादी को कोई आपत्ति नहीं होगा। वादी तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि उभय पक्ष की ओर से संयुक्त संधि–पत्र दाखिल किया गया है। संयुक्त संधि–पत्र के आधार पर उभय पक्ष के गवाही करायी गयी है। लेकिन प्रतिवादी की ओर से दाखिल मूल कागजात प्रदर्श नहीं कराया गया है। जिसे प्रदर्श कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा दाखिल आवेदन पत्र शपथ युक्त है। अतः प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन पत्र न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी सविता देवी का साक्ष्य प्रस्तुत करावें। वाद दिनांक 17.6.22 वास्ते प्रतिवादी सविता देवी के साक्ष्य हेतु। (signature) अवर न्यायाधीश, प्रथम् पटना सिटी